न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास — चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 10/2024

अपीलान्ट बनाम रेस्पोडेन्ट

करणाराम पुत्र केसाराम जाति कुम्हार निवासी पांचला सिद्धा तहसील खींवसर जिला नागौर राजस्थान

नायब तहसीलदार खींवसर।

उपस्थिति :—

1. श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

दिनांक: 07.10.2024

निर्णय

{1}—मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 59/2023 सरकार बनाम करणाराम में निर्णय दिनांक 09.01.2024 के तहत मौजा पांचला सिद्धा की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 15.03.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 18.03.2024 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.01.2024 की फोटोप्रति, पट्टा संख्या 153 की प्रमाणित प्रति पेश की।

{2}—उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट दिनांक 09.01.2024 की पहली पेशी तारीख पर उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया, उस समय पीठासीन अधिकारी सीट पर नहीं थे। रीडर ने अपीलांट के खाली आर्डरशीट पर अंगूठा कराकर बताया कि साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देने हेतु पीठसीन अधिकारी के कुर्सी पर बैठने पर आगामी तारीख निश्चित कर आगामी तारीख से अपीलांट को सूचित कर दिया जायेगा लेकिन अपीलांट को आगामी पेशी से सूचित नहीं किया गया। दिनांक 04.03.2024 को तहसील के कर्मचारी मौके पर आये तथा अपीलांट को निर्णय की जानकारी दी तथा कहा कि सात दिन में अपीलांट को बेदखल किया जायेगा। जिस पर अपीलांट ने तहसील जाकर जानकारी कराई तब सर्वप्रथम पता चला की अपीलांट के पीठ पीछे दिनांक 09.01.2024 को ही नायब तहसीलदार खींवसर द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया है। दिनांक 04.03.2024 से पहले अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी थी तत्काल नकले प्राप्त कर यह अपील बिना विलम्ब के पेश की गई। दिनांक 08.03.2024 से दिनांक 10.03.2024 तक राज अवकाश था। जिससे यह अपील को न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो जानकारी से अंदर मियाद है, जिससे अपील को अन्दर मयाद शुमार किये जाने बाबत् आवेदन पेश किया। न्याय हित मे देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि—

{2}—उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि—

{2}(I)— अपीलाधीन निर्णय अवैध अनाधिकृत विधि विरूद्व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)— अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत जवाब और जवाब के साथ पेश किये गये पट्टे पर किसी प्रकार का गौर नहीं किया और न ही जवाब व पट्टे का अवलोकन विवेचन ही किया। इनको नजरअन्दाज कर सीधे ही निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है।

{2}(III)— अपीलांट को रीडर ने बताया कि अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जायेगा तथा आगामी तारीख से सूचित कर दिया जायेगा लेकिन अपीलांट को न तो आगामी तारीख से सूचित किया गया और न ही अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर ही दिया गया न सुनवाई का अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की सारी कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने से अपीलाधीन निर्णय अपास्त योग्य है।

07/10/24

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(IV)–वादग्रस्त भूमि कभी रास्ते की भूमि नहीं रही है। आर.आई व पटवारी ने अतिक्रमण की रिपोर्ट बनाई वह अपीलांट की गैर मोजूदगी में तैयार की गई है तथा अपीलांट की मौजूदगी में कोई नाप चोप कभी नहीं किया गया ऐसी गलत, झूठी, एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है।

{2}(V)–वादग्रस्त भूमि अपीलांट के पूर्वजो के समय से कब्जे मालिकाना हक स्वामित्व की रहती रही है तथा इस भूमि का पटटा अपीलांट के पिता केसाराम के नाम का आंवटन अधिकारी (विकास अधिकारी) द्वारा 12.01.1975 को जारी किया गया था।

{2}(VI)– वादग्रस्त भूमि आबादी भूमि है राजस्थान सरकार द्वारा सन 1975 में अनुसूचित जाति जनजाति व श्रमिक तथा कारीगरो को आबादी भूमि में से निशुल्क आवासीय भूखण्ड दिये गये थे। अपीलांट के पिता श्रमिक व कारीगर होने से अपीलांट के पिता को 15 X 10 गज भूखण्ड का पटटा जारी कर कब्जा अपीलांट के पिता को दे दिया था। 15 X 10 गज यानि 30 X 45 फुट का पट्टा जारी किया गया था। अपीलांट के पिता का सन् 1975 से रहवासी झोपा इस भूखण्ड पर बना हुआ है तथा वर्तमान में अपीलांट और उसके भाई भंवरलाल का कब्जा स्वामी मालिक की हैसियत से है। समय समय पर अपीलांट ने राजकीय राशि प्राप्त कर इसमें निर्माण कराया है।

{2}(VII)–अपीलांट के मालिकाना हक स्वामित्व कब्जे की आवसीय आबादी भूमि पर नायब तहसीलदार खींवसर को भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल के निर्णयों के अनुसार पट्टाधारी काबिज व्यक्ति के विरूद्व भूराजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ नहीं की जा सकती इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की सारी कार्यवाही व निर्णय बिना क्षेत्राधिकार की होने से अपास्त किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2003 पेज 441 से 443, आरएलडब्लू 1995 (1)(एस.सी.) पेज 117 से 120, तथा अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2003 पेज 441 से 443, आरएलडब्लू 1995 (1)(एस.सी.) पेज 117 से 120, आरएलडब्लू 2009 (3) पेज 2195 से 2219 तथा आरएलडब्लू 2003 (4) एस.सी. पेज 509 से 522 तक नजीरे पेश की।(3) पेज 2195 से 2219 तथा आरएलडब्लू 2003 (4) एस.सी. पेज 509 से 522 तक नजीरे पेश की।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा पांचला सिद्वा में स्थित गै. मु. रास्ता पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 59/2023 सरकार बनाम करणाराम में निर्णय दिनांक 09.01.2024 के तहत मौजा पांचला सिद्वा की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है, अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 23.12.2023 से ज्ञात होता है कि अपीलांट ने खसरा नम्बर 1292 किस्म गै. मु. रास्ता पर अतिक्रमण किया। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/10/24

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर